न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 554–दो/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–4–08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 312/2006'07/अपील.

———

रामबिहारी लाल पुत्र श्री जमनालाल ब्राहम्ण
निवासी ग्राम मक्सूदनगढ़ तह. राधौगढ़
जिला गुना म.प्र.
हाल निवास क्वा. नं. 40 एच.आई.जी. कालोनी,
ए.बी.रोड के पास गुना म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– इकबाल मोहम्मद पुत्र हबीब मोहम्मद
2– खलील मोहम्मद पुत्र हबीव मोहम्मद
दोनों (टोडी वाले) जाति मुसलमान
निवासी कड़ार मोहल्ला मक्सूदनगढ़
तहसील राधौगढ़ जिला गुना म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता, श्री आर. डी. शर्मा ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवकता श्री एस. पी. धाकड़ ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16.06.2014 **को पारित)**

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 312/2006–07/अपील में पारित आदेश दिनांक 11–4–08 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, मकसूदनगढ़ द्वारा अपने प्रकरण कमांक 4/अ–13/04–05 में पारित आदेश दिनांक 24–4–06 द्वारा आवेदक को रास्ता दिए जाने बावत आवेदन इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि उसके खेत तक जाने के लिए पूर्व से ही वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो कि नजदीक भ्झी है । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश

की जो उन्होंने आदेश दिनांक 30–4–07 द्वारा निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक की मां की मृत्यु के उपरांत आवेदक का नाम दर्ज किया गया । सर्वे नं. 139/1 ख तथा सर्वे नं. 139/2ख तथा निगरानीकर्ता के सर्वे नं. 142, 143 के बीच से पूर्व से रास्ता रहा है । अनावेदकों के स्वत्व के सर्वे नं. 142, 143 पुराने समय के हैं जबकि अनावेदकों ने सर्वे नं. 139 का भाग कुछ वर्ष पूर्व क्रय किया है । । विचारण न्यायालय द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किए आदेश पारित किया है, जिसे स्थिर रखने में अपीलीय न्यायालयों ने त्रुटि की है । प्रश्नाधीन रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है तथा यह पाया है कि आवेदक के जाने के लिए पूर्व से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो उसके खेत के पास है । चाहे गये रास्ते पर भी पगडंडी के रूप में उपयोग के आदेश दिए हैं । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है और वे आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण रास्ते के संबंध में है । आवेदक द्वारा संहिता की धारा 131 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को साक्ष्य एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर देकर, स्थल निरीक्षण उपरांत एवं पटवारी का प्रतिवेदन लेकर आदेश पारित किया है और यह माना है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और जो रास्ता चाहा है उससे पैदल लोग आते जाते हैं इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर कि विचारण न्यायालय द्वारा पैदल रास्ता होना माना है अनावेदकों को यह निर्देश दिए गए कि वे आवेदक को पैदल आने–जाने में

अवरोध न करें साथ ही नायब तहसीलदार को विवादित पगडंडी मार्ग में यदि कोई अवरोध हो तो उसे खुलवाने के आदेश दिए हैं । इस आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया है और पटवारी से रिर्पोट ली गई है पटवारी रिर्पोट के अनुसार सर्वे नं. 142, 143 पर जाने के लिए अभिलेख के अनुसार कोई रास्ता नहीं है । अभिलेख में संलग्न साक्षियों के कथनों से यह पाया है कि चाहा गया रास्ता रूढ़िगत रास्ता प्रमाणित नहीं पाया गया है । उन्होंने यह भी पाया है कि स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा जो कथन अंकित कराए गए हैं उनके द्वारा पैदल रास्ता होना बताया गया है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पैदल रास्ता के अवरोध को हटाने के आदेश दिए हैं तहसीलदार ने वैकल्पिक रास्ता होने बावत भी पुष्टि की है जो आवेदक के खेत के नजदीक है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए आवेदक की अपील को निरस्त किया है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–4–2008 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर